रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112020-223013 CG-DL-E-10112020-223013

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] No. 478] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2020/कार्तिक 18, 1942 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2020/KARTIKA 18, 1942

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2020

संदर्भ: पब 3/7/2020-21(96).— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में का.आ. 2843(अ) दिनांक 7 अगस्त 2019 एवं संदर्भ: पब 3/7/2020-21 (29 viii)) दिनांक 8 जुलाई 2020 के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III (खंड 4) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

क्रम संख्या: 2) अनुसूची कॉलम (5) में "25 जुलाई 2020" को "23 अक्टूबर 2021" से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा─जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण–पी एवं एम) [विज्ञापन-III/4/असा./339/2020-21]

5443 GI/2020 (1)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th October, 2020

Ref: PUB/3/7/2020-21(96).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 2843(E) Dated 7 Aug 2019 and Ref: PUB/3/7/2020-21 [29 (viii)] Dated 8 July 2020 in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, of the Gazette of India.

Sl.No. 2), column (5) of Schedule - Substitute "23 Oct 2021" for "25 July 2020"

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG (Stdn. - P&M)

[ADVT.-III/4/Exty./339/2020-21]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2020

संदर्भ: पब 3/7/2020-21(97).— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में संदर्भ पब 3/3/2020-21(54) दिनांक 21 अगस्त 2020, के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III (खंड 4) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

क्रम संख्या: 27) अनुसूची के कॉलम (5) "12 सितम्बर 2020" को "23 अक्टूबर 2021" से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा─जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम) [विज्ञापन-III/4/असा./339/2020-21]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th October, 2020

Ref: PUB/3/7/2020-21(97).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary *vide* Ref No.: PUB/3/3/2020-21 (54) Dt. 21 Aug 2020 in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, of the Gazette of India.

Sl.No. 27), column (5) of Schedule – Substitute "23 Oct 2021" for "12 Sept 2020"

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG (Stdn.- P&M)

[ADVT.-III/4/Exty./339/2020-21]